Ex.P-277

कथन – मोहम्मद अमीन

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	मोहम्मद अमीन पिता आजी मोहम्मद हारून
उम्र	–	39 वर्ष
पता	–	मस्जीद के बाजू में, वृंदावन कालोनी जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	94252–11441
व्यवसाय	–	संचालक, बाबा स्टील इन्डस्ट्रीज, मारकेल जयपुर रोड़ जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)

—00—

मैं मोहम्मद अमीन पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं बाबा स्टील इन्डस्ट्रीज, मारकेल जयपुर रोड़, जगदलपुर स्थित राईस मिल का संचालक हूं। जगदलपुर में नान के क्वालिटी इंस्पेक्टर सतीश कैवर्त्य है तथा जिला प्रबंधक आदिनारायण राव है। मेरे राईस मिल की क्षमता 04 टन प्रति घंटा की है। वर्ष 2013–14 में 79,899 क्विंटल धान के कस्टम मिलिंग का अनुबंध मार्कफेड के साथ हुआ था, अनुबंध के अनुसार मेरे द्वारा 53,533 क्विंटल चावल माह अक्टूबर 2014 तक नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराया गया था। वर्ष 2014–15 में पहला अनुबंध 32 हजार क्विंटल धान का है। मेरे द्वारा माह दिसम्बर 2014 में 27 लॉट (7263 क्विंटल) तथा माह जनवरी 2015 में 46 लॉट(12374 क्विंटल) चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराया गया है। जगदलपुर में नान के गोदामों में स्पेश की समस्या बनी रहती है। गोदाम में चावल अनलोडिंग तथा स्टेकिंग के लिये हमालों को 2250रू. प्रति लॉट की दर से उनके मुखिया को भुगतान किया जाता है। मुझको आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों के द्वारा जप्तसुदा पर्ची को दिखाया गया जिसमें मेरे मिल पावर स्टील के सामने 81300 लिखा गया है जो कि मेरे द्वारा दी गई रकम की मात्रा है एवं 45.8 लिखा है जो कि माह जनवरी में मेरे द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किये गये चावल की मात्रा है। मेरे द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को 07रू. प्रति क्विंटल की दर से कलेक्शन की रकम दिया जाता है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 08.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ